राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 669/2017

हुकमचन्द **–अपीलार्थी**

बनाम

1. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. सहायक अभियंता, उप जल संसाधन उप खण्ड तिजारा, जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.03.2017
आदेश की दिनांक : 30.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 01.07.2009 से प्रथम चयनित वेतनमान अथवा अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान करते हुए एरियर राशि मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने तथा वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 60 के पश्चात् क्रम संख्या 60ए पर जोडा जाकर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अधिशासकीय अभियंता सिंचाई खण्ड, अलवर के आदेश दिनांक 26.07.1978 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 22.06.2000 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति वेतन श्रृंखला 3050–75–3940–80–4590 में की गई। आदेश दिनांक 01.07.2000 के द्वारा अपीलार्थी को नर्वदा नहर परियोजना वृत्त जालौर के अधीन कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदस्थापित किया गया। आदेश

दिनांक 17.01.2007 के द्वारा अपीलार्थी को स्थानान्तरित कर अपीलार्थी ने दिनांक 24.01.2007 खण्ड अलवर में कार्यग्रहण किया। आदेश दिनांक 15.02.2016 के द्वारा कनिष्ठ लिपिक की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम नहीं जोडा गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अनेको बार विभाग के समक्ष प्रार्थना की और उनका कथन है कि अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची दिनांक 15.02.2016 में नियमानुसार क्रम संख्या 60ए पर अंकित होना चाहिए और राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 की पालना में 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.07.2009 से प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु विभाग द्वारा उक्त लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया गया और विभाग द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है तथा पदोन्नति का लाभ भी मिल चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी को 27 वर्षीय लाभ देय नहीं है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को दी गई पदोन्नति प्रथम पदोन्नति पद है, उक्त पदोन्नति 9 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान में मर्ज हो गई और नियमानुसार अपीलार्थी 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 01.07.2009 से प्रथम चयनित वेतनमान अथवा अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान करते हुए एरियर राशि मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने तथा वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 60 के पश्चात् क्रम संख्या 60ए पर जोडा जाकर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 3 के यहां कार्यग्रहण दिनांक 24.01.2007 को किया और वरिष्ठता सूची में नाम जुड़वाने बाबत् पत्र दिनांक 03.02.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया तथा उक्त पत्र के आधार पर वरिष्ठता सूची दिनांक 09.03.2017 में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 7 पर सम्मिलित करते हुए जारी की गई। आदेश दिनांक 25.01.1992 के आधार पर अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान की मांग करने पर राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 06.10.2008 के द्वारा चयनित वेतनमान के स्थान पर

एसीपी नियम लागू किए गए, जिसके तहत अपीलार्थी को दो लाभ 9 एवं 18 वर्षीय दिए जा चुके हैं और एक पदोन्नति का लाभ भी दिया गया है और इस प्रकार 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ इसलिए देय नहीं है क्योंकि वह तीन पदोन्नति पद के लाभ ले चुका है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 28.07.1978 को हुई थी और कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दिनांक 01.07.2000 को हुई। अपीलार्थी ने 9 एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ चतुर्थ श्रेणी कैडर में ले लिया और इस प्रकार अपीलार्थी की पदोन्नति कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 01.07.2000 से होने के फलस्वरूप कैडर मंत्रालयिक होने से 9 वर्ष पश्चात् प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को मंत्रालयिक कैडर होने के फलस्वरूप दिनांक 01.07.2009 से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 26.07.1978 को हुई थी और उक्त पद के दौरान अपीलार्थी ने 9 एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त कर लिया और उक्त लाभ प्राप्त करने उपरांत कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ दिया गया। परंतु अधिसूचना दिनांक 06.10.2008 के बिंदु संख्या 3 के (iii)(5) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

> *"(5) Existing Government servants who have already availed benefit of three selection grades will not be eligible for the grant of ACP. Those Government servants who have availed benefit of one selection grade/one promotion will be eligible for second and third ACP on completion of 18 and 27 years of regular service respectively. Similarly those Government servants who have availed benefit of two selection grades/two promotions/one promotion and one selection grade, as the case may be, will be eligible for third ACP on completion of 27 years of regular service."*

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि यदि किसी कार्मिक को दो चयनित वेतनमान एवं एक पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है तो वह 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्तमान प्रकरण में

अपीलार्थी को दो 9 एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा चुका है एवं एक पदोन्नति का लाभ भी दिया जा चुका है। इस प्रकार उपरोक्त नियमानुसार अपीलार्थी 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान (एसीपी) का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसकी सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से करते हुए देय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करते हुए नियमानुसार 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य